[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

in his proposal for circulation of the Bill and I hope the Government can accept it.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) FOR 1982-83

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1982-83.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1978

(Insertion of new Article—contd.

*SHRI BISWA GOSWAMI (Assam): Hon'ble Vice-Chairman Sir, I rise to support that Bill moved by hon'ble member Shri Shiva Chandra Jha. This is a very good Bill, and right to work must be enshrined in our Constitution.

Mr. Deputy Chairman, Sir, during the Independence struggle also, we pledged ourselves to give full employment to all.

Sir, as a result of the sixth five year plans, although our income per capita has increased, but people of this country are still living below, the poverty line. In the year 1950-51 our income per capita was Rs. 466/- and it increased to Rs 730/- in the year 1978-79. Even then poverty is still there and the people are living in a very wretched condition. More than 50 per cent of the population are still below the poverty line. Our country has progressed to a great extent in the field of industry and trade and commerce. But who have been benefited by such progress? A very few big people have got the lions share. All the benefits have gone to a particular class of people who are very few in numbers. We have not been able to do away with the sufferings of the common people. We have failed to give them relief. Number of unemployed youths are increasing. If we take into accounts the number of unemployed rural youths, in that case, it will be more than 5 crores. In addition to the educated unemployed youths, there are a large number of uneducated unemployed youths in our country. Although we have completed so many 5 years plans, still the number of unemployed is increasing and at the same time the number of people below the poverty line is also increasing. According to the plan it has been stated that it will create 4.17 per cent more employment avenue every year. That this objective of our 6th plan has failed to a great extent has been narrated by the previous speaker very effectively. I do not like to repeat it. In our Constitution it has been enshrined that ours is a socialist country. We want to build it as a socialist country. But 'socialism' is not only a slogan. Simply by means of slogans we cannot proceed towards socialism. We will have to put it into practice. In the real sense we will have to work for it. Then only we can achieve this goal by using attractive slogans like 'socialism' and 'Garibi Hatao', we can not hoodwink the people for a long time. If we really believe in socialism in that case we will have to formulate our plans and policies in such a way, so as to enable us to achieve our goal. Whatever may be our plans, we will have to implement them in the real sense. Constitutionally we have accepted socialism, but we do not bother about to put them into practice. We do not try to translate them into action and as a result we have seen increasing unemployment and poverty.

The students, after completion of their education in schools, colleges and Universities, come out with a great hope that they will get some employment for earning their bread. But they are disappointed. They are frustrated and out of frustration an attitude of dis-satisfaction has cropped up in their minds which is not at

*English translation of Original Speech delivered in Assamese.

[Shri Mallikarjun]

all conducive for the healthy growth of a nation. A sense of nihilism has developed in them.

To day, what is happening in the North-Eastern Region? As a result of this dis-satisfaction among the educated youths, they are becoming anxious about their future. Their future is dark. The number of such educated youths is so vast that an alarming situation has posed before us. For their livelihood there is no ray of hope whatsoever. They are trying to find fault in the existing system of our society. To them the politicians are also bad as the social system. This sort of nihilism is dangerous. If we fail to change the attitude of the youths through some dractic social changes, a very dangerous situation may arise out of it and our democracy may be at stake. In a democratic country economic equality is a must, without which democracy cannot succeed.

During the freedom movement under the leadership of Mahatma Gandhiji, there was definite goal befor the nation, for which we struggled. For some ideology we fought. That movement was not conducted to achieve political power alone. We promised for economic and social freedom for our country after the achievment of political freedom. To achieve this goal the congress-men of that time engaged themselves in different constructive programme activities. The establishment of a class-less and caste-less society in our country was such resolutions were also passed by the Congress then. But unfortunately, our goal then after Gandhiji's death we have forgotten all those noble ideas. Today, if we talk about class-less society that is only for capturing votes and other intention. Today the Government is not prepared to establish a class-less society. This has been proved by their plans and programmes.

Therefore, the Govt. should come forward with such schemes, which would enable us to establish a class-less and caste-less society; so that an egalitarian and prosperous society may emerge. To day what is going on in our country. Day in and day out the Harijans are being killed, their women are being raped. There are atrocities every where in the country, there are communal disturbances through out the length and breadth of the country. We are unable to give the minimum wage to the agricultural labourers. If they try to raise their voice, instead of conceding to their lawful demands, they are shot dead. Is the Govt. unable to implement their laws strictly; so that the minimum wage may be given? If there is a strong will on the part of the Govt., they can easily implement their policies. If they demand their legitimate claim i.e. minimum wage, they are shot dead. There is no law and order in the country. On the other hand, poor people are becoming poorer and poorer day by day. Who is responsible for this state of affairs. Definitely the Govt. is responsible for it.

To day we are adopting the policy of mixed economy. Socialism and mixed economy cannot go together. One is opposite to the other. We will have to adopt socialistic economy. We have seen the dire consequences of mixed economy in our country. By mixed economy, we are trying to hoodwink the people. Our progress is impossible through mixed economy.

Gandhiji laid emphasis on domestic and small industries. But to day we are not encouraging these small industries of our country. In every state these small industries are lying on a death bed. For example, during those days Assam was famous for small industries, but today these industries are being ruined. That is to say if we cannot give patronage to small and medium industries, it is difficult to solve the problem of unemployment. To solve this problem the Government should have to chalk out some time bound schemes. During last 35 years we formulated many

plans without any effect. Simply by lip sympathy unemployment problem cannot be solved.

When the Janata Government was in power, they tried to tackle the unemployment problem in a right direction. They introduced the food for work programme, which was very effective and the common people got relief to some extent. There was scope for creating employment avenues through that programme—Since that programme was introduced by the Janata Government; so the present Cong (I) Government abolished that good programme, which was helpful in removing poverty and unemployment. Those people who are engaged in that programme are unemployed now. The present Govt. has failed to make any alternative arrangement for those workers. What we will have to do to give employment to those people?

The Bill under discussion is a reply to that. If we accept the right to work constitutionally, then the Govt. will have to shoulder some responsibilities. They will have to come forward with some specific schemes to provide employment to the unemployed. If the Government do not come forward with specific programme, the problem of unemployment will never be solved.

The unemployed youngmen of our country have lost faith in the Govt. as well as the political organisations. If they do not get the opportunity of employment, it is but natural that they will try to cause harm to the social and political institutions of our country.

This Bill has been moved in time. Right to work must be enshrined in our Constituion. During freedom struggle also it was felt that some people were below the poverty line. It was also felt that our country cannot march forward towards progress by leaving a considerable percentage of people below the poverty line. If we fail to provide employment to all in that case there should be provision for unemployment allowance. Then only this problem will be solved. The Cottage industries are sought to be given encouragement but no specific programme has been taken up. As has been mentioned, many good things are mentioned in the Plan but they are not being implemented. If the small industries or medium industries are not encouraged, then the country cannot go forward on the road to progress. As to how much money we have to spend for every item, that is to be decided, but even the money that has been earmarked for a particular purpose, whether it is spent for the same purpose or not also should be evaluated. If we do not evaluate our Plans, our planning will fail. As to how much benefit we have derived from this Plan and the previous Plans, all these things need to be evaluated. Only by making plans we will not be able to do anything good for our society. Therefore, I endorse fully the Bill presented by Shri Shiva Chandra Jha. I support it and I request the Government to accept this Bill. All the hon. Members who have taken part in this discussion have faith in democracy and socialism and if we have real faith in socialism and democracy, then it is very imperative that this right to work must be enshrined in our Constitution. I fail to understand as to why this Bill cannot be accepted by the ruling party. However, if they cannot accept it now, they should not reject it outright.

As mentioned by the previous speaker, I fully agree with him, I am also in agreement for circulating this Bill for eliciting public opinion. At least public opinion has to be created. Therefore, whatever efforts are necessary either on behalf of the Government or this House these efforts should be made in a very effective manner for the solution of the unemployment problem. And if we are able to create an atmosphere, then I think it will have an impact and we shall get strength to solve the problem of unemployment. Whether it

[Shri Mallikarjun]

is the ruling party or the Opposition, they have to join hand in hand and we should create such an atmosphere so that our youngmen who are experiencing disappointment and disillusionment are brought out of a such disillusionment and are able to get inspiration. If we make serious efforts, then I think we will be able to find a path, find a way to solve this problem. We should remember that in the efforts which we are making for the progress of this country, the problem of unemployment has to be solved first. We cannot tolerate a situation where there are big industrialists like Tatas and Birlas and others on the one hand and a large number of people are unemployed and below the poverty line on the other hand. During the Independence struggle also we had taken a vow to remove these economic inequalities for removing the poverty in this country, for providing jobs to all the people for building up a healthy and egalitarian society and we were working in that direction. If we try to implement those ideas into practice, then we should put emphasis on the cottage industries and other small industries so that much of the unemployment can be removed. We have got a massive labour force. If we can make correct use of this and if we follow this principle and move forward, then these cottage industries and small industries will get a fillip and side by side vast employment opportunities will be created.

With these words, Sir, I support the Bill of Shri Shiva Chandra Jha and I would commend this Bill to the Government. If they are not able to accept it just today, it should at least be circulated for eliciting public opinion.

With these words, Sir, I conclude.

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं श्री शिव चन्द्र झा जी को जिन्होंने इतना अहम संशोधन संविधान में लाने के लिए यह बिल पेश किया है। इस के अनुच्छेद 16 में 16 (ए) को जोड़ने की बात है जिस में कि काम करने का मौलिक अधिकार और बेकारी के भत्ते की व्यवस्था के लिए कहा गया है।

उपसभापति महोदय, आजादी के बाद जब-जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय में पार्टी कहती है, कांग्रेस और कांग्रेस सरकार के जो भी नेता हैं वे हमेशा कहते हैं कि हम गरीबी को हटाने के लिए और बेकारी को समाप्त करने के लिए इस सरकार में आना चाहते हैं और यह भी सरकार कहती है कि हम को दस वर्ष का समय इसके लिए चाहिए और दस वर्ष में यह बेकारी देश से दूर हो जायेगी। इस दस वर्ष के आसरे में हम आज आजादी के बाद से आज तक चले आ रहे हैं और कब तक चलते जायेंगे इस का पता नहीं है क्योंकि जितने आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उन सब का नतीजा यही निकलता है कि गरीबी बढ़ती चली जा रही है। बेकारी और भुखमरी बढ़ती चली जा रही है। कहीं पर भी सुधार के लक्षण हिन्दुस्तान मे नहीं हैं। सरकार इस लिए बनती है कि वह ऐसा प्रशासन लाये कि इन सारी चीजों में सुधार हो। शिक्षा बढ़े, बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त हो और इसी तरह से गरीबी भी समाप्त होनी चाहिए। परन्तु कांग्रेस सरकार का जो प्रशासन चल रहा है इस से ऐसा कोई लक्षण दिखायी नहीं देता है कि इस क्षेत्र में कोई सुधार हो रहा है। पहले की जो कहावत थी कि भगवान के भरोसे जिन्दा रहो। भाग्य में होगा तो भूखे मरोगे और भाग्य में होगा तो जिन्दा रहोगे, आज यह बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है और आज न इस बात पर कोई विश्वास करेगा। आज मलूकदास की वह कहावत भी नहीं चलेगी कि :

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलूका कह गये, सब के दाता राम।

आज सब के दाताराम का अर्थ है सरकार। सरकार को ही यह सारी व्यवस्था करनी है। इस बिल का एक परोक्ष रूप भी है और वह यह है कि जिस समय संविधान में यह ऐड हो जायेगा कि सब को काम देना है और नहीं तो बेकारी का भत्ता देना है तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह का प्रशासन लाना है चाहे समाजवादी तरीके से हो या लोकतांत्रिक तरीके से हो, जिस से देश में कम से कम गरीबी रह जाय और कम से कम बेकार लोग रह जायें ताकि सरकार को उन को भत्ता न देना पड़े और यदि कोई बेकार हो तो उसे हक हो कि वह कोर्ट में जा कर बेकारी का भत्ता ले सके और ऐसा होने पर इन सब चीजों की ओर ध्यान देकर ही प्रशासन को आगे चलाना पड़ेगा। ऐसा जब संविधान बना था तो उस समय इस बात को नजर में रखा गया था, इसको नजरअंदाज नहीं किया गया था। हमारे यहां आजादी जब आयी जब कि हमारे कांग्रेस के नेता श्री बालगंगाधर तिलक ने नारा दिया कि "इंडिपेंडेंस इज अवर बर्थ राइट"। उस समय जब यह कहा गया तो उस का अर्थ यही होता था कि इंडिपेंडेंस के बाद हम को काम भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा और यह खाना या काम का जो अधिकार है यह भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बात भी मान्य होगी। इतना ही नहीं, अपने संविधान में भी जो कहा गया है डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, वह आर्टिकिल 39 के अन्तर्गत है, जिसमें कहा गया है :—

> "The State shall direct in particular policies towards securing that the citizens, men and women, equally have the right to adequate means of livelihood."

फिर धारा 41 में कहा गया है —

> "The State shall make effective provisions for securing the right to work."

ये सारी चीजें दी गई हैं लेकिन निर्देशात्मक सिद्धान्त में रहने के कारण उनको कोई कानून के रूप में उन पर कोई दावा नहीं कर सकता है। तो जब हमारे संविधान का उद्देश्य भी यही है तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह बिल लाया गया है तो यह उसके समर्थन मे ही है, यह कोई आपके खिलाफ या संविधान के खिलाफ बात नहीं है। यह संविधान की नीति के अनुसार ही बात है। इसलिए इन दोनों अनुच्छेदों 39 और 41 को देखते हुए ये चीजें होनी चाहिए और सरकार को इस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।

उपसभापति महोदय, इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के युनिवर्सल डिक्लेयरेशन आफ ह्यूमन राइट्स की धारा 23 में काम के अधिकार के विषय में कहा गया है —

> "All of us have the right to work and choose a type of work we deserve. We are entitled to receive equal pay for equal work."

तो ये सारे जो सिद्धान्त रखे जा रहे हैं उनके अनुसार हमें काम करना चाहिए। अभी मेरे पूर्ववक्ता श्री सूरज प्रसाद, जी ने सही कहा कि रूस के अन्दर और दुनिया के कई सोशलिस्ट कंट्रीज के अन्दर, जर्मनी के अन्दर, जापान के अन्दर, इजराइल के अन्दर, जहां पर भी इस तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं वहां पर लोग भूखे नहीं मरते हैं। आज हिन्दुस्तान में हम हर जगह सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में भिखमंगे देखते हैं ऐसे भिखमंगे दुनिया के अन्य देशों में नहीं दिखाई देते है। अगर आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम भिखमंगों को समाप्त नहीं कर सके, उनको रोजी रोटी नहीं दे सकते, उनको खाना नहीं दे सकते तो हम क्या कर सकते हैं ?

[श्री रामलखन प्रसाद गुप्त]

हिन्दुस्तान के अन्दर कई राज्य है जहां पर छुटपुट योजनायें हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में 50 रुपये प्रतिमास बेकारों का भत्ता देने की योजना बनाई गई है और वह दिया जाता है। उसी तरह से बिहार सरकार ने कुछ योजना बनाई है। तमिलनाडु में और केरल में भी कुछ योजनायें हैं। लेकिन वह पूरी योजना नहीं कही जा सकती और कोई 50 रुपये या 30 रुपये महीने देकर हम किसी को जिन्दा नहीं रख सकते हैं। इसलिए उन सारी चीजों को देखकर अगर मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ देते हैं तो उसके बाद राज्यों और केन्द्र को भी इस पर सोचना पड़ेगा और उसके लिए हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाना होगा। अतः मैं यही कहूंगा कि सरकार इस बिल को सहर्ष स्वीकार कर ले और यह नहीं समझे कि जैसे कि कोई विरोधी पार्टी के सदस्य इस बिल को लाये है, इसलिए उसे मंजूर नहीं होना चाहिए। यह दृष्टि न रखते हुए, सर्व-सम्मति से इस बिल को सरकार पास कर दे और इसका समर्थन होना चाहिए, यही अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् उपसभापति जी, काम का अधिकार लोगों को मिले, इस सम्बन्ध में श्री शिवचन्द्र झा जी ने जो बिल संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं पहले उनको मुबारकबाद देता हूं।

उपसभापति महोदय, इस बिल में इन्होंने जिक्र किया है समाजवादी तरीके का और उसमें इन्होंने कहा है कि समाजवाद का अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ यह भी है कि सब को रोजगार मिले। श्रीमन, हमारा जो संविधान है इसमे बहुत कुछ ऐसी बातें रह गई है। जिनको मानवाधिकार कहा जा सकता है, मानव को ये अधिकार मिलने चाहिएं जो नहीं मिले हैं। दुनिया के और देशों में, रूस में जो समाजवादी व्यवस्था है वह अपने ढंग की समाजवादी व्यवस्था है, चीन में जो समाजवादी व्यवस्था है वह अपने ढंग की समाजवादी व्यवस्था है। चेकोस्लोवाकिया में जो समाजवादी व्यवस्था है वह अपने ढंग की समाजवादी व्यवस्था है। जर्मनी में जो समाजवादी व्यवस्था है वह अपने ढंग की समाजवादी व्यवस्था है। अगर हमारे देश में जो समाजवादी व्यवस्था है वह बहुत ही विचित्र ढंग की समाजवादी व्यवस्था है। (व्यवधान) मैं समझता था कि जब मैं बोलूंगा तो और लोग मेरे बीच में नहीं बोलेंगे मैं भी किसी के बीच में नहीं बोलता लेकिन जब भी मैं खड़ा होता हूं पता नहीं आपको क्या हो जाता है। (व्यवधान) मैं समझता हूं शायद यह मेरे लिये ही यहां लाये गये है। अगर यह बात है तो कहिये मैं यहां न बैठा रहा करूं। आप धीरज से सुनिये। मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं। कल संजीवा रेड्डी जी का भाषण हमने सुना। मैं थोड़ी उसकी चर्चा भी यहां कर देना चाहता हूं। मैं बड़ा हैरान हुआ। आप भी हमारे ऊपर कभी-कभी नाराज हो जाते हैं और मैं अपने को कोसने लग जाता हूं कि क्या मैं इसी तरह का आचरण करने के लिये यहां पर हूं। क्या इसी तरह के समाज की रचना करने के लिये, क्या इसी तरह के देश के नव-निर्माण के लिये हम लोग इस अदालत में बैठे हुए है जो देश की सर्वोपरि अदालत है। यह अदालत देश के भाग्य का ही फैसला नहीं करती बलकि देश के हर अंग-अंग का फैसला करती है।

श्रीमन्, वह दिन मुझे याद है जब गांधी जी कलकत्ता में थे। इससे पहले

फोटो में तो मैं उन्हें देखा करता था लेकिन पहले दर्शन 1947 में कलकत्ता में गांधी जी के किये। क्या उनकी शक्ल, थी क्या उनका रहने का तरीका था, किस तरीके से वह रहते थे यह जिक्र मैं थोड़ा-स करना चाहता हूं। इसलिये करना चाहता हूं कि उस जीवन से थोड़ा बहुत सबक हमने सीखा है। यही कारण है कि बाल्यकाल में हमारी पढ़ाई छूट गई। 1942 में हमको घर छोड़ना पड़ा जब हमारे पड़ौस के गांव में गोली चली। पड़ौस के गांव मे कई आदमी मारे गये, शहीद हुए और बंगाल का थाना जलाया गया। वहां 22 लोग मारे गये। बलिया जिला वहीं है जहां हमने सबसे पहले कब्जा किया। पड़ौस का स्टेशन भी जला दिया गया। उस वक्त मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मेरे पिता जी ने हमसे कहा कि तुम घर छोड़ कर भाग जाओ। पुलिस आ रही है, मिलिटरी आ रही है। हमारी कांग्रेस के दो व्यक्ति थे। हमारे सम्मानित नेता थे। आपकी पार्टी से निकले हुए हैं, तारकेश्वर पांडे। वह हमारे यहां राज्य सभा के 18 वर्ष तक सदस्य रहे। इन लोगों का थोड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। जब मैं गांधी जी के सानिध्य में पहुंचा तो मुझे नोआखाली में जाने का मौका मिला। उस वक्त हिन्दू-मुस्लिम राइट्स हो रहे थे। (व्यवधान) मैं आपके लिये कह रहा हूं। थोड़ा तरीका सीखिये। मैंने गांधी जी को नजदीक से देखा है। सुहरावर्दी साहब को जिन्दगीभर खतरा था। इसलिये गांधी जी ने उनसे कहा कि सुरावर्दी साहब तुम कलकत्ता में चले आओ। वहां पर बेलियाघट्टा में उनका मकान था। पश्चिमी बंगाल के साथी पता नहीं यहां हैं या नहीं।

श्री उपसभापति : नहीं है।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। आपको मालूम नहीं है। आपने वह दिन नहीं देखा है। वह दिन हमने देखा है अपनी आंखों से। उन दिनों जकारिया स्ट्रीट जाने में दहशत होती थी। एक तरफ हिन्दू इलाका और दूसरी तरफ मुस्लिम इलाका। उन दिनों डा० राम मनोहर लोहिया थे। गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो। जाकर सरदार पटेल को बताओ कि यह मेरा संदेश है कि दिल्ली में अगर एक भी मुसलमान मारा जाता है तो समझना कि गांधी के शरीर पर वह हथियार गिरता है। उस वक्त हमारी अवस्था छोटी थी। डा० लोहिया ने हम लोगों को कहा कि ये पम्फलेट लो और हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच बांटो। वह दिन मैं इसलिये याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि सुहरावर्दी साहब को जिन्दगी भर खतरा था। उस वक्त गांधी जी ने बेलियाघट्टा में डेरा डाला। इसलिये डेरा डाला ताकि हिन्दू-मुस्लिम दंगे रुकें। गांधी जी को नोआखाली जाना पड़ा। मैं इसलिये इसका जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे। इस समाजवाद का आचरण अगर सीखना है तो कल्पनाथ राय उसके अपवाद है।

संसदीय विभाग में उपमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : जिस तरह की बातों का रिफरेंस यह दे रहे हैं यह बिल्कुल उचित नहीं हैं। गांधी जी और पता नहीं किन-किन बातों को कह रहे हैं जिनका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री रामेश्वर सिंह : बिल्कुल उचित है।

श्री उपसभापति : आप लोगों को लाभ होगा इन बातों का।

श्री रामेश्वर सिंह : इनको लाभ नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : बहस मत करिये।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। थोड़ा तरीका सीखिये। आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखें। आप हल्ला मत करिये। रोब मत दिखाइये। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : आप इस बिल पर बोलिये ... (व्यवधान)

श्री हंसराज भारद्वाज (मध्य प्रदेश) : क्या श्री देवीलाल की बात कह रहे हैं... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : मैं श्री कल्पनाथ राय या श्री देवीलाल की बात नहीं कह रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बिल पर माननीय सदस्य ऐसी बात न बोलें जिनका इससे कोई संबंध न है और न रहा है और न ही इनको कोई जानकारी है। आजादी की लड़ाई में इनका कौन-सा इतिहास रहा है, यह हमने कहीं नहीं पढ़ा है। ये क रहे हैं कि महात्मा गांधी ने इनको कहा और श्री राममनोहर लोहिया ने इनको भेजा। इस तरह की बात कह रहे हैं जो कि बिलकुल उचित नहीं है। इसलिए वही बात कहें जो इस बिल के अनुकूल आती है। मैं अनारेबल मेम्बर से, सम्मानित सदस्य से यही निवेदन कर रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री रामेश्वर सिंह : इस बिल में यह सन्निहित है कि हमको हक कैसे मिलना चाहिए और कैसे मिलेगा। हक दो तरह क होते हैं। एक तो डंडे से मनवाये जाते हैं, गुंडई से मनवाये जाते हैं, गाली देकर मनवाये जाते हैं और कुछ गाली सुन कर, पूंछ दबा कर बैठे रहते हैं और कुछ लोग डंडे के बल पर अपनी बात मनवा लेते हैं। इस बिल में यह बात है कि डंडे का इस्तेमाल किसी पर मत करो, गुंडाई का किसी पर इस्तेमाल मत करो, आप जबर्दस्ती किसी पर इस्तेमाल मत करो। आप किसी के साथ व्यवहार करो तो इंसानियत का व्यवहार करो, किसी के साथ व्यवहार करो तो शराफत का व्यवहार करो, किसी के साथ व्यवहार करो तो तमीज के साथ व्यवहार करो, किसी के साथ व्यवहार करो तो शालीनता के साथ व्यवहार करो ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप बिल पर बोलिये।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं और हक की बात कह रहा हूं।

श्री उपसभापति : इस पर को फैसला थोड़ी देना है।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, फसला देने वाले आप हैं। आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं। मैं हक की बात कह रहा हूं। रौब जमा कर इस देश में शासन किया जाता रहा है। इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई यही है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि आपने समानता का व्यवहार नहीं दिया। आप शरीर दिखा कर लोगों को डरवाते आए हैं। गांवों में जाते है तो अपने शरीर का मोटापन दिखा कर लोगों को डराते हैं और वहां का आदमी अगर दक्षिण में होता है तो उत्तर की तरफ आने की हिम्मत नहीं करता है, रास्ता छोड़ कर चला जाता है। इसलिए शरी

को मटका कर मत चलिये। शरीर की अंगडाई मत दिखाइये। जवानी का जोश मत दिखाओ। ये सब बातें इस बिल के तहत हैं। कोई भी शिक्षा शास्त्री, कोई भी समाज शास्त्री और कोई भी अर्थ शास्त्री अगर इसको काट दे तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा देकर चला जाता हूं। लेकिन काटे कौन? क्या ये समाज-शास्त्री लोग हैं? ये समाज के दुश्मन लोग हैं। समाज-शास्त्र से इनका कोई मतलब नहीं है।*

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, आप इनको सुन सकते हैं। मैं इनको चेतावनी देता हूं ... (व्यवधान) हम वह नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : मैं आपको जानता हूं ... (व्यवधान)

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: On a point of order. I wish it were a lecture hall for students. What is all this? What does he mean by all this?

श्री कल्पनाथ राय : मैं तो सिर्फ निवेदन कर रहा था ... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : यही तो मेरा कहना है कि *

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, मैंने कुछ नही कहा। इन्होंने कहा कि ये समाज विरोधी लोग हैं।

श्री रामेश्वर सिंह : अभी भी मैं कह रहा हूं कि समाज-शास्त्र का ज्ञान नहीं है ... (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : आप पांचवीं ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not take down all this.

श्री रामेश्वर सिंह :*

SHRI SYED SIBTE RAZI (Uttar Pradesh): Sir, I stand on a point of order...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why generate so much heat? ... (व्यवधान)

विषय जो है उस पर आप बोलिये। कहां-कहां की बातें करते हैं। आप इधर उधर की बातें कहेंगे तो ऐसी बात खुद हो जायेगी। आप जरा मंत्री जी की बात सुनिये।

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, इनसे कहिये कि अपने बिल पर बोलिये। कृपा करके मेरे दल के ऊपर गलत बात न करें मैं भी उसमें आता हूं...

श्री रामेश्वर सिंह :*

श्री कल्पनाथ राय :*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This will not go on record. I request both of you not to get agitated. I will see the records and if anything has been said that should not have been said, I will expunge that part. I will request Mr. Rameshwar Singh—I beg of you—that he may speak of all relevant or irrelevant things. But do not make unnecessary remarks here and there. Now, why not speak a word on the Bill? Otherwise, take your seat.

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभापति महोदय ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति : कुलकर्णी जी, आप इनको सलाह दे सकते हैं। मेरा बात सुनने के लिये वे तैयार नहीं हैं।

*Not recorded.

श्री रामेश्वर सिंह : वे मेरे पिता तुल्य हैं और आप बड़े भाई तुल्य हैं।

श्री उपसभापति आप रिलेवेन्ट बात कहें।

SHRI SYED SIBTEY RAZI: I am on a point of order. You did not permit me. सदन की परम्परा है कि कोई अन-पार्लियामेन्टरी लैंग्वेज का इस्तेमाल न किया जाय। मैं मानता हूं कि किसी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसको अन-पार्लियामेन्टरी लैंग्वेज कह कर सवाल खड़ा किया जा सके। लेकिन इसके साथ-साथ जो हाउस के रूल्स हैं उसके अनुसार कोई भी किसी के प्रति अगर डेरोगेटरी रिमार्क पास किया जाता है तो उसमें चेयर की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे रिमार्क को रिकार्ड में न जाने दे। जहां तक रामेश्वर सिंह जी की भावना का सवाल है नये भारत के निर्माण में उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। लेकिन किसी पर इस तरह का कीचड़ उछालना और इस तरह का रिमार्क पास करना मुनासिब नहीं है। हम अच्छे वातावरण में इस विषय पर इस बिल पर बोल सकते हैं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि जो इस तरह के रिमार्क रिकार्ड में गये हैं उन्हें हटा दिया जायें . . .

श्री उपसभापति : यह मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री सैय्यद सिब्ते रज़ी : और यह आश्वासन आप दें कि वे इस तरह की बातें न करें।

श्री उपसभापति : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहे और विषय पर आयें जिसमे सदस्यों को पता चले कि इस संबंध में आपके विचार क्या है।

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभापति महोदय, मैं शायद सबसे अभागा सदस्य अपने को मानता हूं कि जब कभी मैं खड़ा होता हूं तो पता नहीं मेरी शक्ल से मेरे कुछ साथियों को न जाने क्या एलर्जी है . . . **(व्यवधान)** . . . भाषा हमारी बुरी लगती है लेकिन आपका व्यवहार ऐसी भाषा पर लाकर खड़ा कर देता है। आपका जो व्यवहार है वह व्यवहार हमको उस भाषा के लिये मजबूर कर देता है। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन हमको आप मजबूर कर देते हैं ताकि हमको इस बात को

4 P.M

कहना पड़े। उपसभापति महोदय, मैं बिल की मंशा पर बोल रहा था और मैं गांधी जी का जिक्र कर रहा था और यह गांधी जी का जिक्र करते-करते आना चाहता था, क्या आज हो रहा है। कल वर्तमान राष्ट्रपति जो रिटायर कर रहे हैं उनके भाषण को मैंने सुना, कल उन्होंने कितनी अच्छी बातें कही। मेरी तबियत उससे प्रफुल्लित हो गई लेकिन कुछ हमारे मित्रों पर कुठाराघात हो गया और उनके कारनामों पर भी पानी फिर गया। उपसभापति महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि समाज कहां जा रहा है, समाज जा रहा है बदअमनी की तरफ और इसको रोकना होगा। समाज के अगुवा हम है, राष्ट्र के निर्माणकर्ता हैं। आज हम डिप्टी मिनिस्टर हैं, कल हम प्रधान मंत्री होंगे . . .

श्री उपसभापति : ऐसी बात क्यों कहते हैं ?

श्री रामेश्वर सिंह : मै उसी पर आ रहा हूं। मैं विषय पर कह रहा हूं। विषय इतना है कि हम को शालीनता बनाए रखनी चाहिये सब से पहले . . . **(व्यवधान)**

श्री हंसराज भारद्वाज : यह नहीं है. . . (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : समाजवाद का मतलब है समाज में इक्वेलिटी। समाज का हम ऐसा निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हर इन्सान को एक दूसरे को, तरक्की करने का मौका मिले। समाजवाद का मतलब है वैसे समाज का निर्माण हो जिस समाज में एक इन्सान दूसरे इन्सान को छोटा न समझे, समाजवाद का मतलब है एक इन्सान दूसरे इन्सान को दबाने की कोशिश न करे, समाजवाद का मतलब है गोरे और काले में कोई फर्क नहीं रहना चाहिये, समाजवाद का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये, समाजवाद का मतलब है कि समाज में जितनी विषमताएं हैं उन विषमताओं को खत्म करना चाहिये, समाज में गोरे काले की विषमता खत्म होनी चाहिये, समाज में धनी और गरीब का जो फर्क है वह खत्म होना चाहिये लेकिन हमारे साथी जितनी भी अच्छी बातें कहिये वे बुरी लगेंगी लेकिन मैं कहने से बाज नहीं आऊंगा। श्रीमन्, मेरा मकसद यह है कि आज क्या हालत है। श्रीमन्, शिक्षा को आप ले लीजिये। मैं शिक्षा के मामले पर पहले चलना चाहता हूं। शिक्षा में आज एक तरफ़ जो आंकिचन लोग हैं, भारत सरकार की जो शिक्षा कमीशन है उसकी रिपोर्ट है, जो शिक्षा मन्त्रालय की कंसलटेटिव कमेटी की पिछली मीटिंग में रखी गयी थी 44% लोग इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 44% लड़के विद्यार्थी गरीबी की रेखा के नीचे हैं और तीन-चार जमात तक आते आते पढ़ाई छोड़ जाते हैं। बहुत से बच्चे चौथी-पांचवीं तक आते-आते स्कूल छोड़ जाते है। बहुत से पांचवीं से नवीं और दसवीं कक्षा तक और भी पढ़ाई छोड़ जाते हैं। 10वीं से एम० ए० तक आते-आते बहुत से लड़के पढ़ाई विहीन हो जाते हैं। माननीय ला मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं वे कानून के ज्ञाता हैं, कानून के विद्वान हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन ऐसी बातें कह रहा हूं जिसमें कोई असंगति है, कौन सी ऐसी बात मैं कह रहा हूं। क्या आपने अपने संविधान में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब संविधान का निर्माण हुआ था उस संविधान में आपने यह शपथ नहीं लिया था कि 10 वर्ष के अन्दर हम पढ़ाई की समस्या हल कर लेंगे। उपसभापति महोदय, मैं ला मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि कौन सी परिस्थिति हो गई कि 10 वर्ष के बाद यह समस्या हल नहीं हुई? 1947 को छोड़ दीजिए, 1952 से 1962 तक आपने समस्या का समाधान नहीं किया। 1962 से 1977 आते-आते 1982 तक मैं यह बात कह रहा हूं कि इसके बाद भी 10 वर्ष और हम को समय चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं एक तरफ़ गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिए माकूल व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं उनकी तो चर्चा मत करिए, स्कूल से जो चले जाते हैं, स्कूल के दर्शन नहीं कर पाते हैं, स्कूल में दाखिल नहीं हो पाते हैं, स्कूल में जो प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जो मेड़ पर बैठ कर के, घर के अन्दर बैठ कर के, पेड़ के नीचे बैठ कर के करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है, स्कूल कहां बसता है, उनको पता नहीं है, स्कूल किस किनारे पर है उनको पता नहीं है लेकिन जो स्कूल हैं उनकी बाबत मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, मैं आपके

[श्री रामेश्वर सिंह]

द्वारा कहना चाहता हूं मैं कानून मंत्री साहब आपसे यह जानना चाहता हूं आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1947 के बाद आज हमारे और आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आज किसानों के बच्चे कहां पढ़ते हैं? अभी हमारे एक साथी जी ने कहा, इन्होंने जिक्र किया है कि आज गांवों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं ? पेड़ के नीचे जो स्कूल हैं। उन स्कूलों में दीवार नहीं है, दीवार है तो छप्पड़ नहीं है, छप्पड़ है तो टाट नहीं है, टाट है तो कुर्सी नहीं है, कुर्सी है तो अध्यापक नहीं है, अध्यापक है तो विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी है तो किताब नहीं है, किताब है तो कापी नहीं है, ये हैं हमारे स्कूल। इन स्कूलों में लोगों के बच्चों को यह हालत है।

लेकिन जो लोग शरीर से मोटे ताजे हैं, महलों में रहते हैं, शीत ताप नियंत्रित कोठियों में रहते हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं ? जो गर्मियों के दिनों में ठण्डे और ठण्डे के दिनों में गर्म होते हैं ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। आप पूछो वे स्कूल कौन से हैं? आप जानना चाहते हैं कि कौन से स्कूल ऐसे हैं जो गर्मियों के दिनों में ठण्डे और ठण्डे के दिनों में गर्म रहते हैं तो वे वही स्कूल हैं जैसे हम और आप यहां बैठे हुए हैं। इसी तरह के स्कूल बने हुए हैं जिनमें मशीन लगी रहती है, मशीन द्वारा पूरी बिल्डिंग को ठण्डा कर दिया जाता है और उसमें उनके बच्चे बैठ के महीने में नेकर पहन कर चहल कदमी करते हैं। हमारे आपके बच्चे पेड़ के नीचे बैठा करते हैं और पेड़ के नीचे बैठ-कर अपनी चमड़ी जला डालते हैं और इनके बच्चे टहल कदमी करते हैं, यह तो शिक्षा का हमने एक उदाहरण दिया . . .

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: On a point of order. Can you kindly give him a copy of the Constitution (Amendment) Bill? I don't think it relates to the Bill. (*Interruptions*)

श्री रामेश्वर सिंह : ये हमारा समय खत्म कर देते हैं। यह तो शिक्षा के मामले में है अब थोड़ा. . .

श्री उपसभापति : उसे छोड़िये अब समाप्त करिये।

श्री रामेश्वर सिंह ; गरीबी पर चलने दीजिए . . . . (**व्यवधान**) अब मैं थोड़ा गरीबी का वर्णन करूं यह तो पढ़ाई का वर्णन कर दिया, अब गरीबी का थोड़ा करना है, आपकी इजाजत से करना चाहता हूं और ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं जिससे हमारे किसी साथी के मन पर कोई ठेस पहुंचे। यह गारण्टी देता हूं कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे आपके मन पर कोई ठेस लगे . . . (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : कुछ बोलिये तो।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं बोल रहा हूं। गरीबी के मामले में आप चलिए, आर्थिक मामले में देखिए, एक तरफ हिन्दुस्तान में तीन आना पैसा पर करीब करीब 30 और 32 करोड़ लोग गुजर बसर कर रहे हैं और. . . (**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : 10 पैसा हो गया है।

श्री रामेश्वर सिंह : हो सकता है 10 पैसा हो गया हो। गरीबी बढ़ गयी है, ठीक है 10 पैसा हो गया है, गरीबी

का अनुपात 10 पैसा बढ़ गया है। उपसभापति महोदय, एक तरफ 10 पैसा या तीन आने पैसे पर करोड़ों लोग गुजर बसर करते हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा है आसाम से हमारे साथी श्री गोस्वामी ने कहा है कि बेकारी, बेरोजगारी और भिकमंगों की समस्या का हल नहीं निकला है। भिखमंगों को तो छोड दीजिए, उनके पास तो शरीर है, वे भीख मांग लेते हैं उछलकूद करके। लेकिन में उनकी चर्चा करता हूं .. (व्यवधान) जो भीख मांगने भी, कानून मंत्री साहब, बाहर नहीं जाते हैं। भीख कहां से मांगी जाती है, भीख कहां मिलेगी वे ये नहीं जातते हैं, मैं उनका वर्णन करना चाहता हूं। कहां रहते हैं वे? गांव में रहते हैं जहां पर कि दूर दराज स्टेशन, दूर दराज शहर और दूर दराज बस तथा दूसरे यातायात के साधन हैं। आपने ये भी साधन उनको मुहैया नहीं किये हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट की गाड़ी नहीं देखी। बहुत से बच्चे है जे यह नहीं जानते हैं कि ये बस है कि भैंस आ रही है। वे यह नहीं जानते कि बस और रही है या हाथी आ रहा है... (व्यवधान) इसलिए मैं यह कह रहा हूं, गरीबी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप देख आज मुल्क कहां जा रहा है। एक तरफ तीन आने पैसे पर गरीब लोग 32-34 करोड़ लोग गुजर-बसर करते हैं और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के 14 परिवारों के हाथ में उनकी दौलत है जितनी कि देश के 11 करोड़ परिवारों के पास दौलत है बिड़ला के पास दौलत है। कानून मंत्री साहब मेरी आपको चुनौती है मैंने वचन दिया है कि मैं कोई कटु शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि यह हमारी सदन में चुनौती है अगर हमारी बात गलत साबित हो जाए —कि 11 करोड़ लोगों के पास इस देश मे जितनी संपत्ति है, उतनी केवल बिरला साहब, एक आदमी के पास है। यह जो 11 करोड़ लोग हैं यह चाहे अपनी बकरी बेच दें, बर्तन बेच दें, घर में उनकी जो चारपाई है, उसको बेच द, उनके घर में जो जेवर हैं, उनको बेच दें, तो उनकी संपत्ति किनके बराबर है? एक बिरला साहब के बराबर है।

यह झा जी ने जो संशोधन रखा है कि काम का अधिकार मिले, आज इस देश में 11 करोड़ लोग गांव में बसते हैं, वह हल चलाता है, पेट नहीं भरता कुदाल चलाता है, पेट नहीं भरता, खलिहानों में काम कहता है, फिर भी पेट नहीं भरता, रिक्शा और तांगा चलाता है, पेट नहीं भरता और एक मात्र घनश्याम जी बिरला और उसके परिवार के पास 11 करोड़ लोगों के बराबर पैसा है। यह काम का अधिकार है।

एक तरफ इस देश के बिना कमाने वाले चौदह परिवार इस देश के ऊपर बैठे हुए हैं। यह काम का अधिकार है। झा जी ने कहा कि काम का अधिकार मिलना चाहिए, काम का कानून बनायें। तो इस देश में ऐसा कानून बनायें कि कमाने वाला खाएगा और जो नहीं कमाएगा, उसको खाने का हक नहीं मिलेगा।

श्री उपसभापति : वह भूखा मरेगा तब।

श्री रामेश्वर सिंह : नहीं मर सकता, क्योंकि उसको भी जब काम का हक देंगे, तो वह काम करेगा।

हमने यह जिक्र किया है कि एक एक मिनिस्टर पर आप तीस-पचास

[श्री रामेश्वर सिंह]

हजार रुपए तक खर्च हो रहा है, रामेश्वर सिंह, एम० पी० के ऊपर दस-पंद्रह हजार रुपया खर्च होता रहा है, और यह पगड़ियां बांधे हुए जो यहां खड़े हैं, सुबह नौ बजे आते हैं और शाम को छह बजे इनके घर में इनकी बीबी टकटकी लगाए रहती है और कल्प नाथ राय की बीबीं मस्खरा मारती है और रामेश्वर सिंह की बीबी मस्खरा मारती है।

श्री कल्पनाथ राय : उन्हें क्या तनख्वाह मिलती है, आप ऐसे क्योंबोल रहे हैं।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त करिए।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं खत्म ही कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि काम का अधिकार मिलना चाहिए।

अब मैं एक बात राजनीति बराबरी के बारे में कहता हूं।

श्री उपसभापति : अब खत्म करिए।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। यह सुन लीजिए।

श्री उपसभापति : कहिए (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह : सामाजिक

कह दिया कि सीना तान कर मत दिखाइए अहीर को, कुर्मी को, कहार को कि मैं बाबु हूं, मैं सेठ हूं और कि मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं।..(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : आप बात तो कुछ कहते नहीं हैं।

श्री रामेश्वर सिंह : मैंने एक रोज कहा था और स्टैटिक्सटिक्स भी पेश किये थे कि राजनीति बराबर चंद लोगों के हाथ में है।

हिंदुस्तान के इतिहास में जब से हिन्दुस्तान में संसदीय प्रणाली का निर्माण हुआ है और जब से देश आजाद हुआ है, इस संसद में पहला व्यक्ति था कि आंकड़े पेश कर दिये कि इस देश में एक वर्ग और एक जाति ने किस तरह से व्यवस्था कायम की है। तो यह मुल्क गुलाम क्यों नहीं रहेगा?

यह इसलिए गुलाम रहेगा कि अहीर को, कुर्मी को, कहार को, नाई को, डोम को तथा जो और जातियां हैं, उनको आप हकीम चंद समझते हो। उनको राजपाट में हिस्सा नही देना चाहते हो। आज हिन्दुस्तान में जो उन्नीस केबिनेट मंत्री है, उनमें से पांच से ग्यारह, हमने आंकड़े पेश किये हैं, कानून मंत्री जी वह आंकड़ा मैं आपके पास भेज दूंगा, आप देख लीजिए।

उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामेश्वर सिंह : आखिर में मैं शिव चन्द्र झा का जो बिल है, इन्होंने जो बिल पेश किया है संशोधन के रूप में मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं यह भी चाहता हूं कि जो सरकार इतनी अंधी हो गई है, जिसके लोग इतने घमण्ड में चूर हो गये हैं, इनके घमण्ड का मार्जन होना चाहिए और यह साफ करें कि जिस मार्ग पर यह चल रहे हैं उस मार्ग पर नहीं चलेंगे।

STATEMENT BY MINISTER

Dearness Allowance to Central Government Employees

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): Mr. Deputy Chairman, Sir, under the existing scheme of Dearness Allowance for Central Government em-